

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 234B/2015-16

1. कमल लोचन महतो 2. अखिलेश महतो

बनाम

1. कैलाश महतो 2. विजय महतो


:: आदेश ::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
--------	---------------------------------	-----------

26.5.2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता 1. कमल लोचन महतो 2. अखिलेश महतो दोनों के पिता स्व० बेरे महतो, ग्राम-विषयगोड़ा, थाना-खरसावां, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता 1. कैलाश महतो पिता स्व० युधिष्ठिर महतो, ग्राम-सेरेंगदा, थाना-कुचाई 2. विजय महतो पिता स्व० कालीचरण महतो, ग्राम-मोलाडीह, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।